

आदेश की  
क्रम संख्या  
और तारीख

## आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

गई कार्रवाई  
के बारे में  
टिप्पणी  
तारीख-सहीत

1

2

3

### आदेश

इस वाद की प्रक्रिया सुरेश राणा वगै० ग्राम-द्वारी, टोला-इन्द्रा के आवेदन पर प्रारंभ की गई। सुरेश राणा वगै० द्वारा आवेदन दिया गया कि जवाहर यादव ग्राम द्वारी अपने दादा मितु महतो के नाम से निम्न भूमि जिसकी जमाबंदी पूर्व से ही हमारे पूर्वज जोबा राणा, लेखो राणा एवं खेमन राणा के नाम से कायम है, कायम करा कर हमलोगों को परेशान कर रहा है। अतः उक्त जमाबंदी को रद्द किया जाए भूमि का विवरण :-

| ग्राम  | खाता सं०        | प्लॉट सं० | रकबा एकड़ में |
|--------|-----------------|-----------|---------------|
| द्वारी | 186 / 15,<br>2  | 2382      | 4.50          |
| द्वारी | 186 / 338,<br>2 | 2382, 64  | 6.23          |
| कुल    |                 |           | 10.73         |

उभय पक्षों को नोटीस देकर कागजात की मांग की गई एवं सुना गया। राजस्व उप निरीक्षक से भी प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है।

प्रथम पक्ष के सुरेश राणा वगै० ने निम्न लिखित कागजात प्रस्तुत किया है।

- (1) जमींदार द्वारा प्रदत्त सादा हुकुमनामा
- (2) जमींदारी रसीद -03
- (3) सरकारी रसीद -12
- (4) वन सीमा से बाहर किये जाने संबंधित आदेश की प्रति।
- (5) संदेहात्मक जमाबंदी की जाँच वाद सं०/2000-2001 में पारित आदेश की प्रति।

ईश्वर राणा वगै० द्वारा प्रस्तुत कागजातों का विवरण:-

- (1) फटे अमीन रिपोर्ट (जमींदार)।
- (2) हुकुमनामा सादा
- (3) जमींदारी रसीद एवं सरकारी रसीद।
- (4) पंजी-2 की ऑनलाईन कॉपी।
- (5) वन सीमा से निस्कासीत होने संबंधि आदेश।
- (6) अंचल अधिकारी, इटखोरी के वाद सं० 3/1992-93 का आदेश।
- (7) अंचल अधिकारी, गिद्धौर के वाद सं०-6/2015-16 का आदेश।
- (8) अंचल अधिकारी, गिद्धौर का आदेश वाद सं०-05/2019-20
- (9) रा० उप निरीक्षक गुरुदेव सिंह द्वारा जवाहर यादव पर किये केश का का कॉपी।
- (10) ईश्वर राणा द्वारा कर्मचारी गुरुदेव सिंह एवं जवाहर यादव तथा हेमलाल यादव के विरुद्ध किये गये केश की कॉपी।

(11) दुलार राणा वगै० बिक्री केवाला की कॉपी।

द्वितीय पक्ष जवाहर यादव द्वारा प्रस्तुत कागजातों का विवरण:-

(1) जमींदारी सादा हुकुमनामा

(2) पंजी-2 की ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रति।

(3) लगान रसीद - 04

(4) विविध वाद सं०-6/2015-16 अंचल कार्यालय, गिद्धौर राज्य सरकार बनाम लेखो राणा एवं अन्य में लेखो राणा एवं अन्य के कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु अंचल अधिकारी, गिद्धौर द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमरिया को भेजे गये पत्र सं०-21 दिनांक-02.12.2017 की छाया प्रति।

(5) विविध वाद सं०-06/2015-16 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमरिया एवं अनुमण्ड पदाधिकारी, सिमरिया द्वारा लेखो राणा एवं अन्य के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की छाया प्रति।

उभय पक्षों को सुना गया। प्रथम पक्ष का कथन है कि हमलोगों को ग्राम द्वारी के खाता सं०-186 एवं 2 में कुल 10.73 ए० भूमि वार्ड इनकमडर स्टेट से हासिल है। वन विभाग द्वारा अपनी सीमा में कर लेने के पश्चात् वन विभाग से निस्कासित करा कर हमलोगा जोत-कोड करते हैं तथा उसी भूमि पर घर मकान बनाकर रहते हैं। सरकारी रसीद लगातार कटाते आये हैं। हमलोगों की भूमि की ही जमाबंदी जवाहर यादव ग्राम द्वारी ने अपने दादा मिटु महतो के नाम से कटा लिया है, जिसे रद्द किया जाए।

द्वितीय पक्ष जवाहर यादव का कथन है कि हमारे दादा स्व० मिटु महतो के नाम से ग्राम द्वारी के खाता सं०-186 एवं 2 प्लॉट सं०-2382, 64, 177 एवं 2381 में 10.75 ए० भूमि जमींदार द्वारा बन्दोबस्ती से प्राप्त है, जिसकी रसीद ऑनलाईन पंजी-2 होने के पूर्व कटती आ रही थी परंतु ऑनलाईन होने के पश्चात् नहीं कट रही है। प्रथम पक्ष द्वारा जानबूझकर हमें परेशान किया जा रहा है। जब कि उनकी ही जमाबंदी संदेहात्मक है, जिसके संबंध में अंचल कार्यालय के विविध वाद सं०-06/2015-16 चला है। इस वाद में अंचल अधिकारी, गिद्धौर भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमरिया एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरिया द्वारा जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गई है। पूर्व में हुए भूमि विवाद के संबंध में प्रथम पक्ष द्वारा लिखित दिया गया था कि भविष्य में कोई वाद नहीं करेंगे परन्तु हमारी भूमि को हड़पने के उद्देश्य से बार-बार झुठा आवेदन दे कर हमें परेशान कर रहे हैं।

राजस्व उप निरीक्षक ने भी अपना प्रतिवेदन समर्पित किया है। उसने प्रतिवेदित किया है कि ग्राम द्वारी के खाता सं०-186/75 एवं खाता सं०-02 कुल रकबा-10.75 ए० भूमिका मांग पंजी-2 के भौलूम सं०-3 पृष्ठ सं०-133 पर मिटु महतो पिता-खेदो महतो के नाम से चलता है। विपक्षी गण सुरेश राणा वो ईश्वर राणा वगै० के नाम से खात सं०-2, 186/215 कुल रकबा-4.50 ए० भूमि तथा लेखो राणा वगै० के नाम से खाता सं०-186/338 कुल रकबा-6.23 ए० भूमि की जमाबंदी क्रमशः भौलूम सं-2 पृष्ठ सं०-28 तथा भौलूम सं०-2 पृष्ठ सं०-149 पर कायम है। दोनों पक्षों से फैसला होने के पश्चात् ही ऑनलाईन में प्लॉट दर्ज कर रसीद निर्गत किया जा सकता है।

वाद से संबंधित भूमि का खतियान अंचल कार्यालय में नहीं है तथा ऑनलाईन भी दर्ज नहीं है।

उभय पक्षों द्वारा समर्पित कागजात एवं राजस्व उप निरीक्षक के प्रतिवेदन तथा अपने-अपने पक्ष में दिये गये तर्कों से निम्न तथ्य सामने आते हैं।

(1) प्रश्नगत भूमि ग्राम द्वारा के खाता सं०-186 एवं 2 गैरमजरूआ खाते की भूमि है।

(2) उभय पक्षों को भूमि मैनेजर वार्ड इनकमडर स्टेट से सादा हुकुमनामा द्वारा प्राप्त है।

(3) उभय पक्षों द्वारा एक ही भूमि पर दावा करने से विवाद है। तथा पूर्व में भी विवाद चलते रहा है।

(4) प्रथम पक्ष द्वारा तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक तथा द्वितीय पक्ष जवाहर यादव के विरुद्ध अपर मुख्य न्याधिक दण्डाधिकारी, चतरा के न्यायालय में परिवाद पत्र सं० 267/2015 चला था परिवाद में पारित अंतिम आदेश की प्रति प्रथम पक्ष द्वारा नहीं दी गई है। परिवाद का विषय छेड़-छाड़ कर जमाबंदी कायम करने से संबंधित था।

(5) प्रथम पक्ष के लेखो राणा खेमन राणा वगै० के नाम से खाता सं०-186 प्लॉट सं०-64, 2382 कुल रकबा-6.23 ए० की जमाबंदी के संबंध में BLR Act 1950 की धारा 4H के तहत संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०-06/2015-16 चल रही है, जिसमें अब तक अंतिम फैसला पारित नहीं हुआ है। पूर्व में संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं०-3/1992-93 अंचल अधिकारी इटखोरी के यहाँ चला था, जिसमें सन्निहित भूमि वाद सं०-06/2015-16 में सन्निहित भूमि ही थी। उक्त वाद में अनुमण्डल पदा० द्वारा लेखो राणा वगै० के नाम से कायम जमाबंदी को नियमित कर रसीद निर्गत करने का आदेश है।

(6) अंचल अधिकारी, गिद्धौर के विविध वाद सं०-26/2015-16 द्वारा प्रथम पक्ष की कायम जमाबंदी भौलूम सं०-2 पृष्ठ सं०-149 में सुधार किया गया है।

(7) अंचल अधिकारी, गिद्धौर के विविध वाद सं०-6/2015-16 में लेखो राणा वगै० के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु अंचल अधिकारी, गिद्धौर भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरिया द्वारा रद्द करने की अनुशंसा किया गया है लेकिन रद्द करने का अंतिम आदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा अब तक नहीं हुआ है। यह अभी लंबित है।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्य से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वाद से संबंधित भूमि में उभय पक्ष का पूर्व से ही विवाद है तथा प्रथम पक्ष की भूमि पर BLR Act 1950 की धारा 4H के तहत वर्तमान में वाद चल रहा है।

द्वितीय पक्ष की कायम जमाबंदी को पूर्व में किसी न्यायालय से अवैध नहीं ठहराया गया है और नहीं पूर्व में अवैध जमाबंदी संबंधी वाद चला है।

चूँकि द्वितीय पक्ष की भूमि भी गैरजमरूआ खाते की है तथा राज्य सरकार की भी नीति है कि गैरजमरूआ खाते की कायम जमाबंदी को

जाँच करते हुए BLR Act की धारा 4H के तहत गलत पाये जाने पर रद्द करने की कार्रवाई की जाय या जांचोपरांत सही पाये जाने पर नियमित की जाए। इस लिए द्वितीय पक्ष की जमाबंदी की जांच राजस्व उप निरीक्षक झरखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा0, दिनांक-19.05.216 सहपठित श्री अनुप मुखर्जी निदेशक भू-अर्जन -सह- विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0-03 खा0म0 निति 119/85/2308 रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह पारित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0-914/रा0, दिनांक-19.12.1998 में निहित निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर अलग से अभिलेख खोलते हुए द्वितीय पक्ष की जमाबंदी को रद्द करने या नियमित करने की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। इस अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

  
अंचल अधिकारी  
गिद्धौर।